न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 01/2019

जी.सी.एम.एस. नं.: 2019/00102

1. जीवराज पुत्र जीवनराम जाति बावरी निवासी 5 एसटीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. दर्शन पुत्र जीवनराम जाति बावरी निवासी 5 एसटीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर
3. उप पंजीयक श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1**
3. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.03.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी द्वारा मूल वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 7 एस.टी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 34 प.नं 221/379 का किला नं. 15/2, 16 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 का कुल 2.480 है. कमाण्ड खातेदार भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज रकबा जो बालिग पुत्रों को आवंटन के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुआ है। जिस पर आवंटन के रोज से ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त भूमि को आपसी सहमति से कालान्तर में करीब 20 वर्ष पूर्व ही किला वाईज घरू बंटवारा कर लिया गया था। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने कब्जा काश्त व अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से मौखिक तौर पर घरू बंटवारा में मुश्तरका भूमि का किला वाईज विभाजन कर प्रार्थी को चक 7 एस.टी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मु 34 प.नं. 221/379 का किला नं. 16, 17, 21/1, 24/1, 25/1 का 1.164 है. कमाण्ड रकबा प्राप्त हुआ था। शेष रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा में आया। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपने अपने हिस्सा व घरेलु बंटवारा के प्राप्त किला वाईज रकबा पर लगभग 20 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी के खातेदारी रकबा मुश्तरका खाता में दर्ज होने के कारण राजस्व लगान आदि अदा करने, सिंचाई सुविधा व अबियाना जमा करवाने, कृषि ऋण व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में परेशानी व असुविधा रहती है जिस कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को समय समय पर उक्त मुश्तरका खाता की भूमि को घरू सहमति बंटवारा कब्जा काश्त अनुसार किला वाईज पृथक–पृथक विधिक विभाजन से प्रार्थी के नाम दर्ज करवा[illegible] जाता रहा तो शुरू में [illegible] कैम्प आदि में बंटवारा आश्वासन देकर टाल मटोल करता [illegible] सहमति से अपने अपने [illegible]बनाकर किला वाईज अंकन करवा लें[illegible] काबिज काश्त है। आपको [illegible] हिस्सा अनुसार घरू विभाजन किला वाईज [illegible] की आवश्यकता नहीं है। जिस पर प्रार्थी स[illegible] प्रकार शंका करने या घबराने की आवश्यक[illegible] रहा परन्तु अप्रार्थी द्वारा विधिक विभाजन करवाने में प्रार्थी का कतई सहयोग नहीं किया जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 20/12/2018 को रोबरू गवाहान गांव में अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर रकबा घरू बंटवार व कब्जा काश्त अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:26:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किला वाईज विभाजन कर प्रार्थी के नाम कब्जा काश्त उक्त किला अनुसार अंकन करवाने का कहा तो वह विधिक विभाजन से स्पष्ट इन्कार हो गया। और धमकी दी वह शीघ्र ही उक्त भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये किसी अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल व महरूम कर देगा। बस यही बिनाए वाद कारण है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा यदि प्रार्थी को उसकी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि जो प्रार्थी के हक व हिस्सा तथा घरेलु विभाजन से कब्जा काश्त में आई भूमि से प्रार्थी को जबरन महरूम कर दिया जाता है या किसी अन्य को रहन विक्रय कर दिया जाता है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं हो सकेगा एवं तृतीय पक्ष के हित सृजित हो जाने से अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी इसलिए प्रार्थी मुश्तरका खाता भूमि का दर्ज खातेदार होने के कारण अनवानी वाद के जरिये विधिक विभाजन किला वाईज खातेदार घोषणा करवाने तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। राजस्थान सरकार भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार है। एवं उप–पंजीयक श्री विजयनगर के कार्यालय में उक्त भूमि के सम्बन्ध में दस्तावेज निष्पादित किया जा सकता है इसलिए उप–पंजीयक श्री विजयनगर एक आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक विवादित कृषि भूमि चक 7 एस.टी.बी. का मु. नं. 34 प.नं. 221/379 का किला नं. 15/2, 16 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1 24/1, 25/1 का कुल 2.480 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि को स्वयं या अन्य के माध्यम से अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने अथवा प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने व किसी सुविधा को हटाने या बाधित करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम जीवराज प्रार्थना पत्र में वर्णित है जबकि जमाबन्दी उक्त वर्णित जमीन दर्शन व जीराम पुत्र जीवनराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड में प्रार्थी के उक्त वर्णित नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित नाम व जमाबन्दी में वर्णित नाम दोनों भिन्न–भिन्न नाम है। इसलिए प्रार्थी कोई रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वर्णित भूमि चक 7 एस. टी. बी. का मु.नं. 34 प.नं. 221/379 का 1 ता 15 बीघा जमीन अप्रार्थी के पिता जीवनराम को आवंटित हुआ था। जो प्रार्थी ने धोखें से अपने पुत्रों के नाम जीवनराम से जरिये दान पत्र हस्तान्तरण करवा लिया था। जिसमें अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता था जो मुझ अप्रार्थी को नहीं दिया गया। शेष 15 ता 25 के 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि समझौते अनुसार अप्रार्थी के पिता ने अप्रार्थी को दी थी। तब से [illegible] रोज तक अप्रार्थी उस पर काबिज चला आ रहा है और काश्त करता आ रहा है। [illegible] प्रार्थी का कोई प्रकरण नहीं बनता है। प्रार्थी का [illegible] नहीं रहा। सम्पूर्ण भूमि पर समझौता अनुसार [illegible] का कोई अधिकार नहीं है। जब प्रार्थी का कोई [illegible] समझौता अनुसार बंटवारा जैसा प्रार्थी बता रहा है वैसा हुआ ही नहीं है [illegible] विभाजन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा ही भूमि को काश्त [illegible] जा रहा है। इसलिए प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस भूमि पर मुझ अप्रार्थी का ही कब्जा है और समझौता भी यहीं हुआ था। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन मेरे पक्ष में बनता है और अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी। यदि

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:26:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बंटवारा अनुसार जमीन प्रार्थी को दी जाती है तो। क्योकि जमाबन्दी प्रार्थी के नाम से नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति की। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज होना अंकित किया है अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से जमाबंदी एवं प्रार्थना पत्र में नाम भिन्न भिन्न होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–2076 चक 7 एसटीबी खाता सं. 22 में दुरूस्ती जीराम के स्थान पर जीवराज दर्ज होने का अंकन है। ऐसे में अप्रार्थी की यह प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है। विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा घरू बंटवारा के आधार पर विवादित भूमि के किलावाईज विभाजन उपरान्त बंटवारा में प्राप्त भूमि पर स्वंय के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में प्रार्थी का हिस्सा नहीं होने का कथन किया गया है लेकिन इसका विनिश्चय मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर किया जाना है। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार टिनेन्ट है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन से पूर्व प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का समान अधिकार है ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष है। यदि भूमि अप्रार्थी द्वारा अन्यत्र रहन बैय अथवा अन्तरण कर दी जाती है तो वाद विवाद बढ़ने तथा तृतीय पक्ष के सृजन की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार निषेधाज्ञा के तीनों कारक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वे मूल वाद के निर्णय तक संयुक्त खाता की विवादित भूमि चक 7 एस.टी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 34 प.नं 221/379 का किला नं. 15/2, 16 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 की कुल 2.480 है. कमाण्ड भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:26:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner